राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 एवं 1768/2016.........................जिला..................................जयपुर...

उनवान – मैसर्स सुपरट्रोन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा0लि0, जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

22/08/2016

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55, 61 एवं 65 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) संपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
1763/16	10–11	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 171	60,07,824	33,19,240	**26,88,584**
1764/16	11–12	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 172	38,62,681	22,07,246	**16,55,435**
1765/16	12–13	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 173	29,71,479	17,58,272	**12,13,207**
1766/16	13–14	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 174	36,86,144	22,61,438	**14,24,706**
1767/16	14–15	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 175	57,20,609	36,43,700	**20,76,909**
1768/16	15–16	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 176	1,43,43,140	94,98,768	**48,44,372**

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा Computers, Its parts & Accessories का क्रय विक्रय किया जाता है। फर्म Dell की National Distributor है तथा Acer, Samsung, Supercomp, Cyberpower, Genious इत्यादि ब्रांड के Computers, parts and Accessories की regional Distributor है। व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में External Hard Disk की बिक्री पर

लगातार.................2.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/08/2016	5/5.5 प्रतिशत की दर से कर चुकाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपने आदेशों द्वारा अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों की वसूली पर एक वर्ष या अपील निर्णय दोनों में से जो भी पहले हो, तक स्थगित रखी है तथा शेष बकाया मांग राशियों को स्थगित नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशियों के संबंध में प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों दिनांक 08.08.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में External Hard Disk की बिक्री पर 5/5.5 प्रतिशत की दर से कर चुकाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपने आदेशों द्वारा अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों की वसूली पर एक वर्ष या अपील निर्णय दोनों में से जो भी पहले हो, तक स्थगित रखी है तथा शेष बकाया मांग राशियों को स्थगित नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। चूंकि इन प्रकरणों में External Hard Disk की बिक्री पर कर दर विवादित है एवं प्रकरण वर्तमान में अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी के विरूद्ध बकाया मांग राशियों (उपरोक्त तालिका का कॉलम नं. 6) **की वसूली योग्य शेष राशि को इस शर्त पर स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करेगा।** शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन छः प्रकरणों में नियमित सुनवाई करते हुये इन आदेशों की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अपीलों का गुणावगुण के आधार पर विधिक निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत समस्त छः अपीलों का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 22/08/2016 **सदस्य** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **राजस्थान कर बोर्ड**	